

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 614]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 16, शक 1944

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2022

क्र. 2708-1801-2021-1-पचपन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा संचालनालय तृतीय श्रेणी-अलिपिकीय (सह-चिकित्सकीय संवर्ग) भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, विद्यमान अनुसूची-एक में सरल क्रमांक 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात्:—

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान वेतन बैंड+ग्रेड पे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44	डायलेसिस सोशल वर्कर	3	तृतीय श्रेणी	रुपये 9300—34800+ग्रेड-वेतन रुपये 3200.''

No. 2708-1801-2021-1-LV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Directorate of Medical Education Class-III Non-Ministerial (Paramedical Cadre) Recruitment and Service Conditions Rules, 2015, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-1, for serial number 44 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of Posts included in the service	Number of posts	Classification	Pay Scales Pay Band+Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“44.	Dialysis Social Worker	3	Class-III	PB-1 Rs. 9300—34800+GP Rs. 3200.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. दुबे, उपसचिव.